संसद के समक्ष अभिभाषण — 23 फरवरी, 2007

लोक सभा	-	चौदहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री भैरों सिंह शेखावत
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री सोमनाथ चटर्जी

माननीय सदस्यगण,

हमारे देश के लिए यह अत्यंत उल्लेखनीय वर्ष है। हम अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्ष, हम भारत की आजादी की पहली लड़ाई की 150वीं सालगिरह और सत्याग्रह की शताब्दी भी मना रहे हैं। एक सशक्त, आधुनिक, सर्वसमावेशी, पंथनिरपेक्ष और गतिशील भारत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने के ये अवसर हैं।

पहले, मैं समझौता एक्सप्रेस पर कायरतापूर्ण और संवेदनाहीन हमले के शिकार निर्दोष व्यक्तियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। हम इन मासूमों के परिवारों की पीड़ा से आहत हैं। हमें भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के हमारे प्रयास पर इस त्रासदीपूर्ण घटना का प्रभाव पड़ने नहीं देना चाहिए।

हम आज अपने आर्थिक क्रियाकलापों और भविष्य के संबंध में अत्यधिक आशावादिता के माहौल में एकत्र हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय में 8 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है। सभी आकलनों के अनुसार, हम वर्तमान वर्ष में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करेंगें। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत के लिए यह शुभ संकेत है। मेरी सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान रुझानों और सामान्य नीति-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में, यह एक व्यवहारिक प्रस्ताव है। तथापि, आर्थिक विकास ही अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं है। यह एक माध्यम है जिसके

जरिए हम अधिक रोजगार पैदा करने, आय को सामाजिक समूहों और क्षेत्रों में अधिक समानता से बांटने तथा सर्वाधिक निर्धनों को गरीबी, अज्ञानता और रोग के दुखों से निजात दिलाने की आशा करते हैं।

मेरी सरकार यह मानती है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सर्वसमावेशी विकास की किसी भी कार्यनीति का अहम घटक है। वर्ष 2006 के पूर्वार्द्ध में तेल की वैश्विक कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि तथा वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में आए उछाल के प्रतिकूल प्रभाव से हमारे लोगों को बचाने के लिए मेरी सरकार ने कई कदम उठाए। तथापि, हाल ही के महीनों में, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है। जब विकास तथा निवेश में तीव्र वृद्धि हो रही हो और आमदनी बढ़ रही हो तो सभी उत्पादों, विशेषकर दैनिक उपभोग के उत्पादों की मांग बढ़ना स्वाभाविक ही है। इस बढ़ी मांग को आपूर्ति बढ़ाकर पूरा किया जाना है जिसमें कुछ समय लगता है। पिछले आठ सप्ताहों के दौरान, मेरी सरकार ने मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए अनेक राजकोषीय तथा आर्थिक कदम उठाए हैं। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी कि गरीबों पर मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है।

विकास की प्रक्रिया को चलाए रखने और सर्वसमावेशी विकास की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उसे वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु यह आवश्यक है कि हमारे सार्वजनिक वित्तीय कार्यकलाप समझदारी और विवेकपूर्ण ढंग से चलाए जाएं। राजकोषीय उत्तरदायित्व कोई अकादमिक बंदिश नहीं है। यह कार्यकलापों की समझदारी भरी एक श्रृंखला है जिसका लक्ष्य हमारी विकास प्रक्रिया की निरंतरता, समता लाना और मुद्रास्फीति नियंत्रण सुनिश्चित करना है।

मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 11वीं योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक वृद्धि न केवल तीव्रतर हो अपितु और अधिक सर्वसमावेशी तथा समतापूर्ण हो। 11वीं योजना की नीति का लक्ष्य होगा अर्थव्यवस्था को एक सतत और त्वरित विकास पथ पर गतिशील करना और समूचे देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में रोजगार के उत्पादक अवसरों का सृजन करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में अर्थव्यवस्था के सामने आ रही नौ बड़ी चुनौतियों की पहचान की गई है। ये हैं: (1) कृषि में गतिशीलता की पुन: प्राप्ति; (2) रोजगार ढ़ांचे में बदलाव और नई नौकरियों का सृजन; (3) निर्धनों को आवश्यक जन-सुविधाएं मुहैया कराना; (4) विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना; (5) मानव संसाधनों का विकास; (6) विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण; (7) पर्यावरण संरक्षण; (8) पुनर्वास और पुन:स्थापन कार्यों में सुधार; (9) शासन में सुधार। इन चुनौतियों से निपटते हुए, सर्वसमावेशीय विकास की बड़ी चुनौती से भी निपट लिया जाएगा।

मेरी सरकार सर्वसमावेशी विकास का एक नया शिल्प तैयार कर रही है। इस शिल्प में भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सुदृढ़ीकृत और विस्तारित सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न आहार और समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रमों का सार्वजनीकरण तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शामिल हैं। सरकार के इन सभी अग्रणी कार्यक्रमों में काफी प्रगति की जा चुकी है। कुछेक राज्यों को छोड़कर भारत निर्माण के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं में, अधिकांश वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोनी, ग्रामीण आवास और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछड़ रहे राज्यों, खासकर देश के कम विकसित भागों से कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन में केन्द्र और राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय की भागीदारी के जरिए जनता के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य है। इस मिशन का केन्द्र बिन्दु विकेन्द्रीकृत जिला स्तरीय नियोजन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचकों में सुधार लाना है। अब तक जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर 18 राज्यों में लगभग 3.2 लाख गांव आधारित अधिकृत महिला सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) तैनात की जा चुकी हैं।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 63 शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 61 शहरों के लिए नगर विकास योजनाएं पहले ही तैयार की जा चुकी हैं जिनमें शहरी शासन और विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण और लक्ष्यों का खाका खींचा गया है। इनमें निवेश योजनाएं भी शामिल हैं जिनका लक्ष्य नगरव्यापी शहरी अवसंरचना, शहरी निर्धनों के लिए जलापूर्ति, साफ-सफाई, जल-निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक आवास उपलब्ध कराना भी है। अब तक मलिन बस्ती सुधार एवं विकास के लिए 102 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। हमारे नगरों को शहरी शासन में बड़े सुधार तथा हमारी नगरपालिकाओं के उन्नत और लोकतांत्रिक कार्यकरण की अत्यंत आवश्यकता है। इसे बढ़ावा दिया जा रहा है और फेरी वालों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संबंधित पक्षों के परामर्श से एक नये कानून के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इनमें से हर कार्यक्रम अतिरिक्त रोजगार पैदा करेगा जो मेरी सरकार के ध्यान का केन्द्र बिन्दु है। सकल घरेलू उत्पाद के 34 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर को छू चुकी निवेश दर में सतत वृद्धि और रोजगार उत्पन्न करेगी। मेरी सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, गरीबों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा साथ ही ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के लिए एक बड़े कार्यक्रम के रूप में उभरा है। 200 जिलों में चल रही इस स्कीम से 1.4 करोड़ से अधिक परिवारों को फायदा पहुंचा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों

में पांच लाख से अधिक कार्य चल रहे हैं, जिनमें आधे से अधिक जल संरक्षण और सूखारोध (ड्राउट प्रूफिंग) के क्षेत्र में हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के आधार को पुनर्निर्मित करने में सहायक हैं। इस आयाम का कोई भी सामाजिक सुरक्षा कवच विश्व में और कहीं नहीं बनाया गया है। इसलिए इसे बहुत दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है। मेरी सरकार इस अधिनियम के प्रभावी होने से पांच वर्ष में समूचे राष्ट्र को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाने के लिए कटिबद्ध है तथा अगले वर्ष, और जिले इसके अंतर्गत लाए जाएंगे।

महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रयासों से कानूनी ढांचा मिला। मेरी सरकार पंचायती राज को और गहन स्तर पर ले जाने के लिए वचनबद्ध है और इसलिए 250 जिलों में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक समेकित योजना के माध्यम से विकेंद्रीकृत जिलास्तरीय नियोजन को सुदृढ़ बनाने का काम हाथ में लिया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्थानीय मूल्यांकन के आधार पर महत्वपूर्ण विकास कार्यकलापों में अंतर को पाटने के लिए तैयार की गई है।

मेरी सरकार शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देती है। युवा जनों के राष्ट्र के रूप में, भारत जनसांख्यिकीय लाभ तभी प्राप्त कर सकेगा जब हम अपने बच्चों की क्षमताओं तथा बौद्धिक व भावनात्मक विकास में निवेश करेंगे। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए आबंटित निधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सुदृढ़ीकृत सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न आहार कार्यक्रम, शिक्षा के द्वारा हमारे बच्चों के सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के तहत, गत तीन वर्षों में उच्च प्राथमिक स्तर पर 2000 से अधिक नए आवासीय विद्यालय, मुख्यतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

एक सर्वसमावेशी और समतापूर्ण समाज की ओर बढ़ते हमारे कदमों में महिलाओं और बच्चों के अधिकार और उनकी आकांक्षाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा महिलाओं और बच्चों संबंधी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक पृथक महिला और बाल विकास मंत्रालय बनाया गया है। यह विकास में समान भागीदार के रूप में महिलाओं को दिए जा रहे महत्व को दर्शाता है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले तथा उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने वाले ऐतिहासिक विधान बनाए गए हैं। बच्चों के कल्याण हेतु किया गया निवेश राष्ट्र के भविष्य के लिए किया गया निवेश है। कुपोषण उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए आंगनवाड़ियों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है जिनकी संख्या शीघ्र ही एक मिलियन तक पहुंच जाएगी। साथ ही बाल सुरक्षा संबंधी मुद्दे मेरी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर हैं।

उच्चतर शिक्षा में हमारे प्रयासों का केन्द्र बिंदु, तंत्र को पुनरुज्जीवित करना, पहुंच के दायरे को बढ़ाना और उत्कृष्टता के नए संस्थान बनाना है। मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानती है। सरकार सभी विद्यार्थियों में मेहनत और प्रतिभा को पुरस्कृत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें ज्ञान पिरामिड के सभी स्तरों पर शिक्षा में निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। मेरी सरकार व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को पुनरुज्जीवित करने के लिए कटिबद्ध है। देश के विभिन्न हिस्सों में कई नए भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बनाए जाने का प्रस्ताव है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं।

मेरी सरकार गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आगे और कदम उठा रही है। गेहूं का उत्पादन कम रहा है लेकिन कीमतों में वृद्धि पर काबू पाने के लिए गेहूं स्टॉक को पूरा किया गया है। साथ ही, अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, गेहूं व मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में समुचित वृद्धि की गई है। समय पर लिए गए और उपयुक्त निर्णयों से गन्ना किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है और गन्ने की बकाया धनराशि अब तक के सबसे कम स्तर पर आ गई है। शुष्क भूमि और वर्षा सिंचित कृषि के मामलों पर समन्वित एवं संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया है जो इस संबंध में नीति का मार्गदर्शन करेगा। हमारी सामुद्रिक और अन्तर्देशीय मत्स्यपालन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड गठित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किसानों को और अधिक आय उपलब्ध कराने वाली फसलें उगाने में मदद कर रहा है।

माननीय सदस्यों को कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता में भारी-वृद्धि के बारे में पहले से ही जानकारी है। कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण प्रवाह को दुगुना करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए 13,000 करोड़ रु. का एक पैकेज तैयार किया गया है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषि अनुसंधान पर बल देने तथा किसानों को नई प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित करने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना स्वीकृत की गई है। नारियल, चाय और कॉफी जैसी बागानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं और कई नई ''स्कीमें'' बनाई गई हैं।

किसानों द्वारा आत्महत्याओं की अधिक घटनाओं वाले 31 जिलों के लिए 16,000 करोड़ रु. की राशि वाला एक विशेष पैकेज कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसमें अल्पावधिक व दीर्घावधिक उपाय शामिल हैं तथा ऋण, सिंचाई सुविधाओं, कृषि निवेश और आय के वैकल्पिक स्रोतों संबंधी मसलों पर ध्यान दिया गया है। एक विशेषज्ञ दल कृषि ऋणग्रस्तता की समस्या की जांच कर रहा है और यह त्रस्त किसानों को राहत देने के उपाय सुझाएगा।

कुल मिलाकर मेरी सरकार की इन पहलों से, कृषि में निवेश की दर बढ़ेगी, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और वे समृद्ध होंगे तथा दूसरी हरित क्रांति का सूत्रपात होगा। यह संतुष्टि की बात है कि 2005-06 में कृषि विकास की दर 6 प्रतिशत रही। तथापि इसे ऐसे विश्वसनीय उपायों के द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता है जो निवेश की उच्च दर बरकरार रखें, नई प्रौद्योगिकियों और कृषि पद्धतियों को उपयोग में लाएं, विपणन माध्यमों में सुधार लाएं, बेहतर जोखिम प्रबंधन सुविधाएं मुहैया कराएं और हमारे किसानों को बेहतर लाभ दें। मेरी सरकार यह सब करने के लिए प्रतिबद्ध है।

औद्योगिक विकास और संबंधित उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण तथा मुआवजे की शर्तें हमारे देश में लोक चिन्ता का प्रमुख मुद्दा बन गया है। एक तरफ तो कृषि भूमि के अधिग्रहण के संबंध में किसानों की वास्तविक चिंताएं हैं और दूसरी तरफ उद्योग और संबंधित क्रियाकलापों के मार्फत रोजगार पैदा करने के लिए भूमि का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए मानवीय पुनर्वास तथा कृषि भूमि के उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता के मुद्दों पर नीति और कानून, दोनों की दृष्टि से ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी सरकार एक नई पुनर्वास नीति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए जहां कहीं आवश्यक होगा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।

मेरी सरकार कृषि तथा शहरी अर्थव्यवस्था, दोनों में जल उपलब्धता व जल उपयोग की गंभीर समस्या को स्वीकार करती है। हमें जल प्रबंधन प्रणालियों, जिनमें भागीदारी सिंचाई प्रबंधन; जल का विनियमित उपयोग व संरक्षण; किसानों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना तथा विद्यमान परियोजनाओं का रख-रखाव, बेहतर भूजल पुनर्भरण और वर्षाजल संचयन शामिल हैं, पर सामाजिक सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता है। मेरी सरकार देश की सिंचाई क्षमता तथा जल विद्युत क्षमता के विकास के लिए कटिबद्ध है।

अपने पर्यावरण का ध्यान रखना और अपनी विकास प्रक्रिया की पारिस्थितिकीय स्थिरता सुनिश्चित करना एक प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौती है। मौसम में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे का हमारी पृथ्वी पर जीवन तथा हमारी विकास संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सतत् विकास की चुनौती से निपटने के लिए हमें आर्थिक रूप से वहनीय, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से व्यवहार्य और सामाजिक

समानता वाली नीतियों की आवश्यकता है। "पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफी कुछ देती है परन्तु वह उसके लालच की पूर्ति नहीं कर सकती"–महात्मा गांधी के इस विवेकपूर्ण कथन के अनुसार चलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सतत् विकास के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिए जिसमें विकासशील विश्व की विकास आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाए। भारत पर्यावरण की दृष्टि से व्यवहारिक विकास की कार्यनीतियों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। घटती वन-भूमि में बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण के लिए एक वृहद् कार्यक्रम 'हरित भारत' पर मेरी सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

हमारे वन्य जीव हमारी अमूल्य धरोहर हैं। मेरी सरकार ने टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर अभयारण्यों के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। एक बाघ संरक्षण प्राधिकरण और साथ ही एक वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है। सरकार स्कूल पाठ्यक्रम के द्वारा पर्यावरण शिक्षा की गतिविधियों को सुदृढ़ करना और वन्य जीवों के प्रति सम्मान पैदा करना चाहती है।

मेरी सरकार किसान समुदाय की आय में सुधार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जुटाने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के महत्व को पहचानती है। इस क्षेत्र के लिए सरकार के विजन, 2015 में अगले दशक में खाद्य क्षेत्र के आकार को तिगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि हमारा खाद्य क्षेत्र सर्वोत्तम विश्व स्तर से मेल खाता हो, मेरी सरकार ने खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 नामक एक एकीकृत खाद्य कानून बनाया है और शीघ्र ही एक खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित किया जा रहा है। यह स्वायत्त प्राधिकरण मानक निर्धारित करेगा और स्वास्थ्यप्रद व सुरक्षित खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए लाइसेंस देगा।

सर्वसमावेशी विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के फलस्वरूप हमारे समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा सका है। मेरी सरकार सामाजिक न्याय और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण को अत्यधिक महत्व देती है। शिक्षा, क्षमताओं का सृजन करके, सशक्त बनाने का कार्य करती है। इसलिए मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में वृद्धि की है और अन्य पिछड़े वर्गों की पहुंच उच्चतर शिक्षा तक बढ़ाई है। अनुसूचित जातियों में से सर्वाधिक वंचितों को सशक्त बनाने के लिए मेरी सरकार ने सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना नामक एक नई स्कीम शुरू की है। मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित खाली पदों के बैकलॉग को

भरने में काफी प्रगति की है और यह शेष खाली पदों को भरने के लिए कटिबद्ध है।

संसद ने पिछले सत्र में अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों को उस भूमि पर अधिकार देने का एक ऐतिहासिक विधान बनाया है जो सदियों से उनके कब्जे में रही परन्तु जिसे वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह एक क्रांतिकारी विधान है जो इन वर्गों को सुरक्षा प्रदान करेगा, इनका उत्पीड़न रोकेगा और इनकी आजीविका में वृद्धि करेगा। हमने जनजातीय समुदाय की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देने वाली एक राष्ट्रीय जनजातीय नीति तैयार की है।

मेरी सरकार अल्पसंख्यकों, विशेषतया उनमें से अत्यधिक पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। सभी अल्पसंख्यकों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अलग से एक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाया गया है। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट 30 नवम्बर, 2006 को संसद के पटल पर रखी गई थी और इस सत्र में इस पर चर्चा की जाएगी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे कि विकास के लाभों में सभी समान रूप से भागीदार हों और पिछड़े अल्पसंख्यक समूह हमारी विकास प्रक्रियाओं के सक्रिय भागीदार व लाभार्थी बनें। मेरी सरकार उन जिलों और कस्बों के लिए एक कार्यक्रम बनाने पर विचार कर रही है जिनमें अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा तादाद में हैं।

पिछले वर्ष अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम में कुछेक महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं की पहचान की गई है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र सृजित किया गया है कि इन स्कीमों का लाभ समान रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को भी मिले। कतिपय अल्पसंख्यक समुदाय अभी भी अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं जिनमें स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक है, बीच में स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा है तथा शैक्षिक उपलब्धियां कम हैं। इन पर संकेन्द्रित ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यमान स्कीमों के अलावा मेरी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक व्यापक छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है। मेरी सरकार समाज के सभी वर्गों में समता व उनके कल्याण के प्रति दृढ़ता से वचनबद्ध है।

विकास प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हमें ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। त्वरित आर्थिक विकास और वाणिज्यिक ऊर्जा की बढ़ती मांग के लिए भारत में ऊर्जा सुरक्षा के एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है। ऊर्जा की मूल्य-निर्धारण व संवितरण

नीतियों पर एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाने की तत्काल आवश्यकता है। मेरी सरकार को पारंपरिक और नवीकरणीय, दोनों स्रोतों से ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाने की आवश्यकता का बोध है। कोयला क्षेत्र देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य आधार बना रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि आगामी वर्षों में कोयला उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके साथ-साथ, मेरी सरकार विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगी। दो अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रतियोगी प्रशुल्क बोलियों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है और इस दिशा में आगे भी प्रयत्न जारी रहेंगे। संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग तथा स्वैच्छिक समर्थन से देश की विपुल जल-विद्युत क्षमता का उपयोग भी किया जाएगा। मेरी सरकार ने ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने और पर्यावरण संबंधी मामलों पर ध्यान देने के लिए असैनिक नाभिकीय ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा के सभी स्रोतों को उनकी पूर्ण क्षमता तक विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

मेरी सरकार ने हमारे देश में विश्वस्तरीय अवसंरचनाएं विकसित करने पर विशेष बल दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का 227,000 करोड़ रु. के निवेश के लक्ष्य के साथ बहुत अधिक विस्तार किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज पूरा होने ही वाला है। उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कॉरिडोरों के निर्माण का कार्य आबंटित कर दिया गया है। सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज सहित लगभग 4,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाने तथा 6500 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन का बनाने के कार्य को भी अनुमोदित कर दिया है। मेरी सरकार उत्तर-पूर्व क्षेत्र के साथ संपर्क में सुधार लाने की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उत्तर-पूर्व के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है।

मेरी सरकार भारतीय रेल की कायापलट करने में सफल रही है। पिछले 30 महीनों में रेल माल वाहन में 8-10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और यात्रियों की संख्या भी दुगुनी हुई है। कंटेनर व्यापार को निजी व्यापार-क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। बेहतर आपूर्ति व मांग प्रबंधन, क्षमता के युक्ति संगत उपयोग तथा बाजार संचालित मूल्य-निर्धारण नीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय रेल एक बार फिर से दौड़ पड़ी है। अब आवश्यक है कि इस गति को बरकरार रखा जाए। इसके लिए आधुनिकीकरण तथा अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण अनिवार्य है। सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी द्वारा अवसंरचना विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी कंटेनर ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हुई है। प्रस्तावित डेडिकेटिड रेल फ्रेट कॉरिडोर पर प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है। यह परियोजना कंटेनर, कोयला तथा अन्य खनिज यातायात के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सहयोग प्रदान करेगी। यह परियोजना द्रुतगति से कार्य कर रही है। इस परियोजना को क्रियान्वित

करने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम-डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है।

हाल ही के वर्षों में नागर विमानन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। तेजी से बढ़ते हवाई यातायात की मांग पूरी करने के लिए मेरी सरकार ने देश के बड़े हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण तथा हवाई-सेवाओं को उदार बनाने की शुरूआत की है। हवाई-अड्डों के विकास के क्षेत्र में निवेश तेजी से बढ़ रहा है।

वैश्विक व्यापार में तेजी से बढ़ती हमारी हिस्सेदारी के साथ-साथ चलने के लिए मेरी सरकार ने पत्तन अवसंरचना के वृहत् क्षमता विस्तार हेतु एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। चेन्नई में एक भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है जिसके कोलकाता, मुम्बई और विशाखापत्तनम में क्षेत्रीय परिसर होंगें। गोदावरी और महानदी के कुछ भागों को अंतर्देशीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भी है।

मेरी सरकार ने सड़कों, पत्तनों, हवाई अड्डों तथा विद्युत उत्पादन जैसी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए कार्यनीति के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रयास किए हैं। ऐसी नीति से अतिरिक्त निवेश आता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित संसाधनों में वृद्धि करता है। साथ ही, निजी क्षेत्र की दक्षता से कीमतों में कमी आती है, परियोजनाएं शीघ्र पूरी होती हैं तथा सेवाएं बेहतर रूप से प्रदान की जा सकती हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में पर्याप्त सुधार देखे जा सकते हैं।

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि वर्ष 2006-07 में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि की दर 11 प्रतिशत के लगभग आंकी गई थी। ऑटोमोटिव उद्योग, वस्त्र, फॉर्मास्यूटिकल, इस्पात, पैट्रो रसायन, सीमेंट इत्यादि महत्वपूर्ण क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन उत्साहजनक रहा है। हम घरेलू उद्यमों को पुनः सशक्त बनाने में स्पष्टतः सफल रहे हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद द्वारा तैयार विनिर्माण की राष्ट्रीय कार्यनीति त्वरित औद्योगिक व रोजगार विकास का आधार प्रदान करती है। भारत में ऑटो क्षेत्र के विकास के लिए संरचना प्रदान करने के लिए एक ऑटोमोटिव मिशन योजना 2006—2016 तैयार की गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बढ़ते आगमन से औद्योगिक क्षेत्र को भी लाभ हुआ है। यहां भी, इस वर्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 10 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया है और यह पहली बार विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश को भी पार कर गया है।

यह संतोष का विषय है कि हमारा वस्त्र उद्योग बहु-तन्तु (मल्टी फाइबर) करार के बाद की व्यवस्था में व्यापक रोजगार का सृजन करने, निर्यात को बढ़ावा देने तथा अपना कार्य-निष्पादन सुधारने में सफल रहा है। बुनकरों की सहायता के लिए एक संकेंद्रित व्यवस्था जिसके अंतर्गत समूह विकास केंद्रों की संख्या में वृद्धि और अधिक

धागा डिपो, प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहयोग, बुनकरों के लिए स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा कार्यक्रम तथा हथकरघा उत्पादों को ब्रांड आधारित बनाने के लिए एक नया "हैंडलूम मार्क" विद्यमान है।

मेरी सरकार ने केंद्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की पुनर्संरचना की है। ग्रामीण उद्योगों को और बढ़ावा देने के लिए वर्धा में महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग संस्थान की स्थापना की गई है। ये उद्योग हमारी ग्रामीण जनता के एक बहुत बड़े भाग को लाभप्रद रोजगार प्रदान करते हैं। अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 प्रभावी हो गया है। इससे उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता की प्रगति, विकास और संवर्धन में सुविधा होगी। मेरी सरकार असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए बनाए जाने वाले कानून का प्रारूप विचाराधीन है। मेरी सरकार हमारे कार्यबल के कौशल तथा सामर्थ्य में सुधार लाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा मिशन तथा अन्य पहलों सहित कौशल विकास का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेगी। यदि हमें बढ़ते युवा कार्यबल द्वारा उत्पन्न जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाना है तो ऐसा करना आवश्यक है।

हमारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र लगातार विकास कर रहा है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में है। वर्ष 2007 ब्रॉडबैण्ड का वर्ष होगा। हम पूरे देश में ब्रॉडबैण्ड कवरेज उपलब्ध कराकर "डिजिटल डिवाइड" को पाटने के लिए वचनबद्ध हैं। मेरी सरकार इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग तथा सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास को प्रोत्साहित कर रही है। अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए मेरी सरकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पहचान पत्र परियोजना को आगे बढ़ाएगी तथा चरणबद्ध रूप से इसे देशभर में लागू करेगी।

पर्यटन की संभावनाएं असीम हैं और इसके लाभ हमें दिखने भी लगे हैं। हाल ही के महीनों में, विदेशी पर्यटकों के आगमन, विदेशी मुद्रा अर्जन और रोजगार सृजन में प्रभावी वृद्धि हुई है। तथापि पर्यटन की क्षमताओं तथा भारत की समृद्ध धरोहर व विविधता को देखते हुए, हम घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। पर्यटन के लिए सार्वजनिक तथा निजी अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करने के अलावा, मेरी सरकार देशभर में पर्यटन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है।

आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्रों में अपने प्रयासों को बनाए रखने के लिए हमें वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि करनी होगी और भारतीय विज्ञान की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। मेरी सरकार बुनियादी विज्ञान की शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की घटती संख्या तथा अन्य नई उद्योगजनक अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय विज्ञान के पीछे रह जाने से अत्यंत चिंतित है। भारत को विज्ञान तथा

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए सिरे से बल देने की आवश्यकता है। हमें बाजार के दबावों का मुकाबला करने के लिए अपनी विश्वविद्यालय पद्धति में भी शक्ति का संचार करने तथा उसे समर्थ बनाने की आवश्यकता है ताकि यह प्रतिभाओं के पलायन को रोक सके व उन्हें आकर्षित कर सके।

2015 तक एक सशक्त विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधार विकसित करने के लिए भावी रूपरेखा बनाई गई है। प्रतिभाओं को आकर्षित करने, विश्वविद्यालय अनुसंधान में नयापन लाने, महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान के क्षेत्र में फिर से करियर बनाने के लिए समर्थ बनाने, प्रौद्योगिकी व्यापार उद्भवन (इनक्यूबेशन) प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, अनुसंधान तथा विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने तथा अपने लोगों में विज्ञान के प्रति और अधिक जागरूकता तथा वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मेरी सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वित्तीय आबंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से कम से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत करने की इच्छुक है।

हमारे वैज्ञानिकों ने नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, जैव-प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी तथा औषधीय क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है। इस वर्ष हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी प्रभावशाली सफलताएं प्राप्त की गई हैं। हाल ही में पीएसएलवी को लगातार नौंवी बार सफलतापूर्वक छोड़ा जाना, चार उपग्रहों को सही पूर्व निर्धारित कक्षा में रखा जाना और स्पेस कैपसूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट तथा साथ ही चन्द्रयान मिशन की तैयारियों में हो रही प्रगति उत्कृष्टता की उस सुयोग्य प्रतिष्ठा को साबित करती है जो इसरो तथा हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को मिली है। परमाणु ऊर्जा विभाग, जो स्वदेशी संसाधनों का उपयोग करते हुए सुरक्षित, किफायती तथा पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए नाभिकीय प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है, ने तारापुर में देश में विकसित 540 एमडब्ल्यूई यूनिट 3 व 4 को प्रारंभ कर दिया है। हम अपने देश के तीन चरण वाले नाभिकीय कार्यक्रम के विकास के लिए वचनबद्ध हैं।

मेरी सरकार पुलिस बल, सुरक्षा बल तथा आसूचना एजेंसियों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर तथा नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाए गए संकेंद्रित तथा सर्वांगीण प्रयास अब सफल हो रहे हैं। मेरी सरकार आतंकवाद तथा उग्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करती है और उनसे निपटने के लिए कृतसंकल्प है। जहां हमारी सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियों ने आतंक फैलाने के आतंकवादी गुटों के कई प्रयासों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है वहीं मुम्बई तथा असम में और अभी हाल ही में, समझौता एक्सप्रेस पर हमले की दुखद और कायरतापूर्ण आतंकी घटनाएं हुई हैं। मेरी सरकार सामने आई इन सभी चुनौतियों से सख्ती से निपट रही है।

उत्तर-पूर्व, जम्मू व कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मेरी सरकार हमारे देश के इन हिस्सों के समग्र, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगी जिसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों की राष्ट्रीय मुख्य धारा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। मेरी सरकार जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व, दोनों क्षेत्रों में लोगों के दुख-दर्द का निवारण करती रहेगी जबकि आतंकवादी और उग्रवादी ताकतों पर कड़ी नजर रखेगी। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च महत्व देती है कि सभी एजेंसियां कठिनतम परिस्थितियों में भी बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करें।

शहरी अपराध और हिंसा, जिसके शिकार विशेषतौर पर बच्चे और महिलाएं हैं, के बारे में लोगों की चिंता बढ़ रही है। मेरी सरकार हमारे पुलिस बलों को, हमारे नागरिकों की चिंताओं और आवश्यकताओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने और उनकी समस्याओं को निपटाने में और अधिक दक्ष और मानवतावादी बनाने के लिए कटिबद्ध है।

मेरी सरकार हमारी न्यायिक पद्धति, विशेषतौर से जहां यह हमारे नागरिकों के कल्याण पर प्रभाव डालती है, में और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने और न्याय प्रदानगी पद्धति को तेज करने पर लक्षित न्यायिक सुधार करने के लिए कटिबद्ध है। न्यायपालिका में और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् के गठन हेतु एक विधेयक संसद के पटल पर पहले ही रखा जा चुका है। छोटे मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए प्रक्रियाओं को कुछ लचीला बनाकर जन-अनुकूल स्थानीय न्यायालयों की स्थापना के लिए ग्रामीण न्यायालय विधेयक लाया जा रहा है।

देश की रक्षा मेरी सरकार की अडिग प्रतिबद्धता है। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए और अपारंपरिक खतरों में वृद्धि देखी जा रही है, सामरिक माहौल क्षीण बना हुआ है, सरकार देश की रक्षा को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित रखेगी। ऐसा करने के लिए हम अपने सशस्त्र बलों को सर्वोत्तम संभव साधन उपलब्ध करवाएंगे। मेरी सरकार हमारे सशस्त्र बलों और हमारे देशी रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण में निवेश कर रही है ताकि उन्हें मौजूदा और उभर रही चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम बनाया जा सके। हमारे सशस्त्र बल अनेक भागीदार देशों के साथ सहयोगी अभ्यासों में भी लगे हुए हैं और उनका कार्य-निष्पादन निरपवाद रूप से प्रशंसनीय रहा है। राष्ट्र उनके योगदान के लिए उनका आभारी है। हमारे पूर्व सैनिकों का कल्याण मेरी सरकार की प्राथमिकता है।

मेरी सरकार की विदेश नीति क्षेत्र में शांति और स्थिरता के अनुकूल बाह्य वातावरण बनाने, अपना द्रुत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और अपनी राष्ट्रीय

सुरक्षा के उपाय करने की इच्छा से तैयार की गई है। इस प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित के अनुसरण में, मेरी सरकार व्यापक रूप से सक्रिय हुई है—विश्व की सभी प्रमुख शक्तियों के साथ, अपने बढ़ते पड़ोस के साथ और विकासशील विश्व तथा गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अपने भागीदारों के साथ।

अभी फरवरी में, हमने 1949 की पहली संधि के स्थान पर नई भारत-भूटान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। नई संधि समकालिक वास्तविकता को दर्शाने के लिए हमारे द्विपक्षीय संबंधों के कानूनी आधार को अद्यतन बनाती है। यह दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारे संबंधों को उच्चतर स्तर पर सुदृढ़ करेगी और बढ़ाएगी। हमने नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली और शांति प्रक्रिया की सफलता के लिए अपने पूर्ण समर्थन को दोहराया है। एक मित्र और पड़ोसी के नाते भारत यह चाहता है कि बंगला देश एक लोकतांत्रिक, स्थिर और खुशहाल देश हो। हमने जातीय मुद्दे का बातचीत के जरिए किए जाने वाले राजनीतिक समाधान, जो कि श्रीलंकाई समाज के सभी वर्गों को स्वीकार्य हो, की आवश्यकता श्रीलंका के उच्च-राजनीतिक नेताओं को बताई है। यह संतोष का विषय है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है। संयुक्त वार्ता, संयुक्त आयोग और आतंकवादरोधी सांस्थानिक तंत्र ने एक संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध कराया है जिसके भीतर सभी मुख्य मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। हम घुसपैठ और सीमापार आतंकवाद के बारे में चिंतित हैं और बातचीत की प्रक्रिया की सफलता पाकिस्तान की अपनी इस प्रतिबद्धता पर आधारित है कि वह किसी भी तरीके से अपने नियंत्रणाधीन किसी भी क्षेत्र को आतंकवाद को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल न होने दे।

भारत इस वर्ष अप्रैल में 14वें सार्क शिखर सम्मलेन की मेजबानी करेगा। सार्क का अध्यक्ष होने के नाते भारत यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि सार्क हमारे क्षेत्र में शांति और प्रगति का दूत बने। दक्षिणी एशिया के लोगों की एक साक्षी धरोहर और एक साझी नियति है। हम विशेष रूप से खुश हैं कि अफगानिस्तान आगामी शिखर-सम्मेलन में सार्क का 8वां सदस्य बनेगा। भारत-अफगानिस्तान संबंधों के महत्व पर भारत और अफगानिस्तान द्वारा नवम्बर, 2006 में आयोजित अफगानिस्तान संबंधी दूसरे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन में बल दिया गया था।

भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में आए बदलाव से रक्षा और सुरक्षा मुद्दों, आतंकवादरोधी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, व्यापार, अंतरिक्ष, नाभिकीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, कृषि, समुद्री सहयोग और पर्यावरण सहित अनेक क्षेत्रों में व्यापक स्तरीय संबद्धताएं की हैं। 18 जुलाई, 2005 में भारत-अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य और 2 मार्च, 2006 की सेपरेशन प्लान में तय मापदण्डों के भीतर असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग पर अमेरिका के साथ हुए एक करार के लिए किए गए

हमारे प्रयासों से माननीय सदस्य अवगत हैं। भारत यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक भागीदार है जिसमें व्यापार और निवेश, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। विस्तृत आधार वाले भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश करार पर बातचीत शुरू की जानी हैं।

हाल ही में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति पुतिन की ऐतिहासिक यात्रा ने उस व्यापक आधार वाले सहयोग की विशिष्टता उजागर की है जो रूस के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंधों को दर्शाता है। दोनों देशों के एक संयुक्त उद्यम के द्वारा ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र का विकास, हमारे आपसी सहयोग से मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। यात्रा के दौरान हुए करारों से ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में हमारे सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत और रूस के बीच सामरिक साझेदारी और अधिक सुदृढ़ होगी।

नवम्बर, 2006 में चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ की भारत यात्रा से भारत-चीन संबंधों के सतत और व्यापक विकास की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई है। दोनों देश हमारी नीतिगत साझेदारी को अधिक सशक्त बनाने और भविष्य के लिए कार्योन्मुख कार्य सूची विकसित करने के लिए 10 आयामी नीति पर सहमत हुए।

भारत की "लुक ईस्ट पालिसी" आसियान और हमारे पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ संबंध बढ़ाने में सहयोगी रही है। पूर्वी एशियाई और भारत-आसियान शिखर सम्मेलनों में भारत की भागीदारी से इस क्षेत्र के साथ हमारे पुराने संबंध ताजा हुए हैं और आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। सिंगापुर, चीन, जापान, कोरिया और अन्य देशों ने "नालन्दा परियोजना" में काफी रुचि दर्शायी है जिसमें भारत में अन्तर-सभ्यतापरक संवाद के लिए एक एशियाई केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

गत वर्ष एक सार्वभौमिक और रणनीतिक साझेदारी प्रारम्भ होने के साथ ही जापान के साथ भारत के संबंधों ने नए युग में प्रवेश किया है। एक विशेष आर्थिक साझेदारी की पहल विशेष रूप से अवसंरचना, विद्युत उत्पादन और एक औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना में निवेश को बढ़ावा देगी। एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार के लिए बातचीत प्रगति पर है। हम इस वर्ष प्रधानमंत्री आबे के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

गत वर्ष गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत ने विकास को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे का केन्द्र बिन्दु बनाने में अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम किया। मेरी सरकार पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। हम इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता देखना चाहते हैं। हिंसा का परित्याग करने और सभी संबंधितों के न्यायसंगत हितों को ध्यान में रखते हुए शांतिवार्ताओं द्वारा इसका एक व्यापक समाधान ढूंढ़ने के लिए हमने

पश्चिम एशिया के सभी पक्षों का आह्वान किया है। मेरी सरकार ने इराक को एक स्थिर, शांतिमय, सम्पन्न, संगठित और लोकतांत्रिक रूप में देखने की अपनी इच्छा को भी दोहराया है। गत वर्ष सऊदी अरब के आला हज़रत शाह और उसके बाद कुवैत के अमीर, जोर्डन के राजा की यात्राएं और अभी हाल ही में विदेश मंत्री की ईरान यात्रा, भारतीयों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में हमारे स्थायी हितों के महत्व को उजागर करती है। भारत, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के देशों के साथ अपने संबंधों को और गहन बनाने और उनमें विविधता लाने पर भी कार्य कर रहा है। गत वर्ष दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ भारत के संबंध बढ़े हैं। भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के सबसे बड़े लोकतंत्रों को एकजुट कर दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति हमारी वचनबद्धता को पुनरुज्जीवित किया है। पैन अफ्रीकी-ई-नेटवर्क, जो हमारी मदद से कार्यान्वित किया जा रहा है, ने अफ्रीका और भारत के बीच उच्च तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया है।

मेरी सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में कार्य कर रहे कामगारों के संरक्षण और कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया है। हम उनकी उद्यमशीलता की भावना की सराहना करते हैं और उन्हें भारत के विकास में और अधिक सक्रियता से लगे हुए देखना चाहते हैं। प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड योजना से भारतीय मूल के लोगों की काफी समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। हम अब भारत में भारतीय मूल के व्यक्तियों का विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर कार्य कर रहे हैं। मेरी सरकार प्रतिभा पलायन की दिशा पलटने के लिए कदम उठा रही है ताकि भारत की कुछ मेधावी और प्रतिभावान संतानें अपनी मातृभूमि को लौटें।

भारत ने एक शीघ्र सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर के सभी क्षेत्रों में बातचीत को पुनः शुरू करने का स्वागत किया है। गतिरोध दूर करने के लिए विकसित देशों को अपने कृषि क्षेत्र को बड़ी मात्रा में दी जा रही व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडियों को कम करने के सार्थक उपाय करने चाहिए। साथ ही, विकासशील देशों में जहां कृषि जीवन-यापन का प्रमुख साधन है, वहां यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारों को उनके कम आय वाले तथा असुरक्षित किसानों के सम्मुख विद्यमान कीमतों में गिरावट व अस्थिरता और आक्रामक प्रतियोगिता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए समुचित लचीली नीतियों की मार्फत समर्थ बनाया जाए। विकासशील देशों द्वारा निर्यात किये जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराना भी इतना ही महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोहा दौर वास्तव में विकास का दौर ही हो।

माननीय सदस्यों, हमारा देश विकास के एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। हमारे कामगार लोगों, हमारे व्यावसायिकों और उद्यमियों में आत्मविश्वास की भावना और उनकी गतिशीलता हमें आशान्वित करती है। तथापि, मेरी सरकार मानती है कि विकास तभी सार्थक होगा जब यह सर्वसमावेशी होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवीन ऊर्जा का संचार करें और गांवों तथा शहरों के बीच बढ़ती असमानताओं को दूर करें। सरकार में सुधार, इसे अधिक पारदर्शी और उत्तरकारी बनाना तथा भ्रष्टाचार के कैंसर का उन्मूलन समग्र विकास की किसी भी नीति के अनिवार्य तत्व हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम हमारे नागरिकों को सशक्त बनाने का एक साधन है। एक और अधिक शक्तिशाली अस्त्र जो उनके हाथों में है वह है हमारी गरिमामयी संसद में अपनी आवाज उठाने और शिकायतों का समाधान पाने का अधिकार। जैसा कि कहा जाता है—सतत जागरूकता के जरिए ही लोकतंत्र बहाल रखा जा सकता है। माननीय सदस्यों, आप, यहां हमारी जनता के प्रतिनिधि हैं। आपका यह दायित्व हो जाता है कि आप हमारे लोकतंत्र की महान संस्थाओं की मार्फत यह सुनिश्चित करें कि हमारे देश के लोगों को बेहतर प्रशासन मिले। मुझे आशा है कि आपको जो अधिकार मिले हैं, आप उनका इस्तेमाल हमारी जनता और हमारे राष्ट्र के हित में करेंगे। इस वर्ष संसद की कार्यवाही के सार्थक संचालन के लिए मेरी हार्दिक शुभ कामनाएं।

जय हिन्द।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम